उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 ....9278/18 दिनांक 12/10/18

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सुमित्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस,
प्लाट नं. 55 सी. नॉलेज पार्क,
5 ग्रेटर नोयडा ।

विषय—सुमित्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, प्लाट नं. 55 सी. नॉलेज पार्क, 5 ग्रेटर नोयडा में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र की सीटों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 किये जाने की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—3935/71—2—16—एन—8/2016 दिनॉक 16 सितम्बर, 2016 तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के सर्कुलर दिनॉक 16.04.2018 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र के निरीक्षणोंपरान्त उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समिति के अनुमोदनोपरान्त 30 सीट से बढ़ाकर 40 प्रशिक्षुओं को जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 40 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं जी0एन0एम0 प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी, जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (अंग्रेजी विषय अनिवार्य) न्यूनतम 40 % के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 01 अक्टूबर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय—समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय—समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

... शर्तों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस

किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. जी0एन0एम0 प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
6. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
7. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जनरल नर्सिंग की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही कराई जायेगी।
8. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 4,500/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,500/– प्रति माह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
9. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके और इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली को भेजी जा सके।
10. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्रों का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।
11. प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आनलाइन इनरोलमेन्ट प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह की 31 तारीख तक अवश्य कर दिया जाये। जिससे प्रशिक्षार्थी को कार्यालय से दिया जाने वाला इन्रोलमेन्ट कार्ड समय से भेजा जा सके।
12. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर देखा जा सकता है। चयन प्रकिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।
13. आगामी वर्षो में प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 60,000/– **(रू.1,500/– प्रति छात्र की दर से)** इस कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या–

दिनॉक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001
फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 9284/18 दिनांक 12/10/18

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सुमित्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस,
प्लाट नं. 55 सी. नॉलेज पार्क,
5 ग्रेटर नोयडा ।

विषय–सुमित्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, प्लाट नं. 55 सी. नॉलेज पार्क, 5 ग्रेटर नोयडा में हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की सीटों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 किये जाने की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–3935/71–2–16–एन–8/2016 दिनॉक 16 सितम्बर, 2016 तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के सर्कुलर दिनॉक 16.04.2018 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र के निरीक्षणोंपरान्त उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समिति के अनुमोदनोपरान्त 30 सीट से बढ़ाकर 40 प्रशिक्षुओं को हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 40 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी, जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 01 अक्टूबर को 17 से 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि 02 वर्ष होगी। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय–समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
4. किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगे।

5. प्रवेश हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

7. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

8. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण की दो परीक्षायें होंगी प्रथम परीक्षा एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् तथा द्वितीय वर्ष परीक्षा प्रशिक्षण अवधि 02 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही कराई जायेगी ।

9. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 3,000/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 3,000/– प्रतिमाह, पूरे प्रशिक्षण अवधि (दो वर्ष) तक लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।

10. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके और इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली को भेजी जा सके।

11. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्राओं का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।

12. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर देखा जा सकता है। चयन प्रकिया के संबध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।

13. आगामी वर्षो में प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 60,000/– (रू.1,500/– प्रति छात्र की दर से) इस कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या– दिनॉक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।